Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर
प्रेमचन्द पुत्र भगवान दास आदि बनाम अशोकगर आदि,

किस्म मुकदमाः– अपील अन्तर्गत धारा 75 आरटीए एवं 56 एलआरएक्ट न..06...सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अह्काम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.05.19	पत्रावली पेश हुई वादी के अधिवक्ता श्री श्यामदीन पड़िहार उपस्थित दावा रिपोर्ट सरिस्ते होकर पेश हुआ अवलोकन किया गया दर्ज रजिस्टर किया जावें प्रतिवादीगण को बैअखज तलबाना जरिये समन तलब किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 07.06.2019 को पेश हो	
07.06.19	पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पोडेंट की ओर से वकालतनामा पेश हुआ शामिल पत्रावली रहे। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने पत्रावली के शीघ्र निस्तारण करने के लिए बहस करने हेतु सहमति जाहिर की। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वकील वादी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 व एलआरए 56 के तहत पेश कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 2979 दिनांक 23.12.15 शेरपुरा तहसील लूनकरनसर अपीलांट के खातेदारी रकबा खसरा नम्बर 1848/1445 तादादी 10 बीघा का सहवन 6 बीघा विक्रीत की बजाय 10 बीघा अवैध तरीके से दर्ज व तस्दीक किया गया को निरस्त किया जावे। सही नामान्तरण 6 बीघा का बहक रेस्पोडेंट 1 व 2 के नाम दर्ज करने व शेष रकबा अपीलांट के नाम दर्ज व तस्दीक के आदेश प्रदान करावें। उभयपक्षों की बहस सूनी गई व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों का प्रतिरोध नहीं किया। अपील स्वीकार करने की सहमति जाहीर की है। अपील स्वीकार की जाती है तो पक्षकारान को कोई आपति नहीं है। मियाद बिन्दु पर प्रार्थना पत्र मियाद कन्डोम पर सुना गया। इसके काउंटर पर कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है और ना ही मियाद के बिन्दु पर कोई आपति है। उभयपक्ष के वकिलों की की बहस व रिकार्ड नामान्तरण संख्या 2979 दिनांक 23.12.2015 का अवलोकन किया गया तथा अपील के साथ पेश रिकार्ड जमाबन्दी व विक्रय पत्र बहक रेस्पोंडेंट गौर किया गया इससे स्पष्ट है कि नामान्तरण संख्या दर्ज करते समय कॉलम सख्या 1 से 9 तक जमाबन्दी के अनुसार दर्ज है जो रेस्पोडेंट के नाम से दर्ज है तथा कॉलम संख्या 11 केतागण रेस्पोडेंट 1 व 2 के नाम विक्रय पत्र के अनुसार मात्र 6 बीघा ही विक्रय किया गया है तथा कब्जा दिया गया है। इसके अलावा 4 बीघा रकबा न तो विक्रय किया गया न ही कब्जा दिया गया है। 4	

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

बीघा बदस्तूर अपिलांट के बजाय सहवन सारा रकबा कॉलम संख्या 11 में 10 बीघा पटवारी हल्का के विक्रय के विरूद्ध दर्ज किया गया है तथा मिलान व तस्दीक कुनिदा अधिकारी द्वारा गौर नहीं किया गया है जो निम्रान्त विधी विरूद्ध है तथा किसी समय नामान्तरण निरस्त योग्य है। क्षेत्राधिकार व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध है।

परिणामतः नामान्तरण संख्या 2979 दिनांक 23.12.2015 के गिरदावर के मिलान के आधार पर तस्दीक रौही शेरपुरा का किया गया है व विक्रय पत्र के विरूद्ध अंकन इंतकाल के कॉलम संख्या 11 में किया गया 10 बीघा का एतदद्वारा निरस्त किया जाता है तथा इस आदेश के साथ तहसीलदार स्वयं पक्षकारान को सुनकर विक्रय पत्र के आधार पर सही नामान्तरण क्रेता व विक्रेता के नाम से 4 बीघा बदस्तूर दर्ज करें। खर्चा हर्जा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। यह आदेश आज दिनांक 07.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner